11862 | 11185

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. | Rs.10000

दस हज़ार रुपये | RUPEES TEN THOUSAND

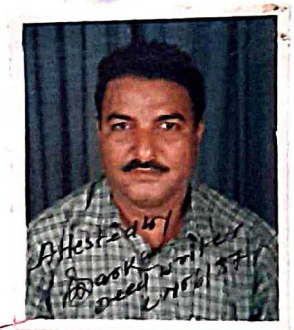

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 474312

तपसील वर्णित जमीन का मूल्य मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है।

22.12.06

Fee paid.
4120.00
36.00
4156.00
2.50
0.94
3.44
4153.44

बिक्रय पत्र

केवाला दाता – श्रीमती लक्खी देवी उर्फ आशा चौधरी पति श्री महेश प्रसाद चौधरी जाति जयसवाल, पेशा गृहस्थी, साकिम, डाकघर एवं थाना गोविन्दपुर, जिला धनबाद। (भारतीय) उक्त केवाला दाता के पक्ष में आममोख्तार **श्री गुरुचरण सिंह** पिता श्री हरबंश सिंह जाति सिख, पेशा व्यावसाय, साकिम शास्त्री नगर धोवाटाँड़ धनवाद थाना एवं जिला धनबाद। मोख्तार नामा संख्या (IV) 242 दिनांक 5–5–2000 निबंधित आसनसोल निबंधन कार्यालय।

केवाला ग्रहिता – श्री ईन्द्रपाल सिंह पिता स्व0 महेन्द्र सिंह जाति सिख, पेशा व्यावसाय, साकिम सन्धु कलोनी जोड़ाफाटक रोड, धनवाद, डाकघर एवं थाना धनसार, जिला धनबाद। (भारतीय)

002514/06

2677/0607
Indrapal Singh
Joraphatak Rd, Dhanbad

16500/-(10000+5000+1000+500)

22.12.06

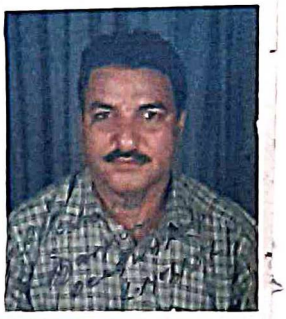

गुरु चरण सिंह
हरवंश सिंह
शास्त्रीनगर धोवाटांड़ धनबाद
सिख व्यवसाय

22-12-06

पदाधिकारी का हस्ताक्षर
22.12.06

सदर जिला सदर निबंधक धनबाद

सिंह

375/69/06

22-12-06

376/69/06

Kalim Ansari
22/12/06

निबंधन पदाधिकारी
धनबाद
22.12.06

5000Rs.

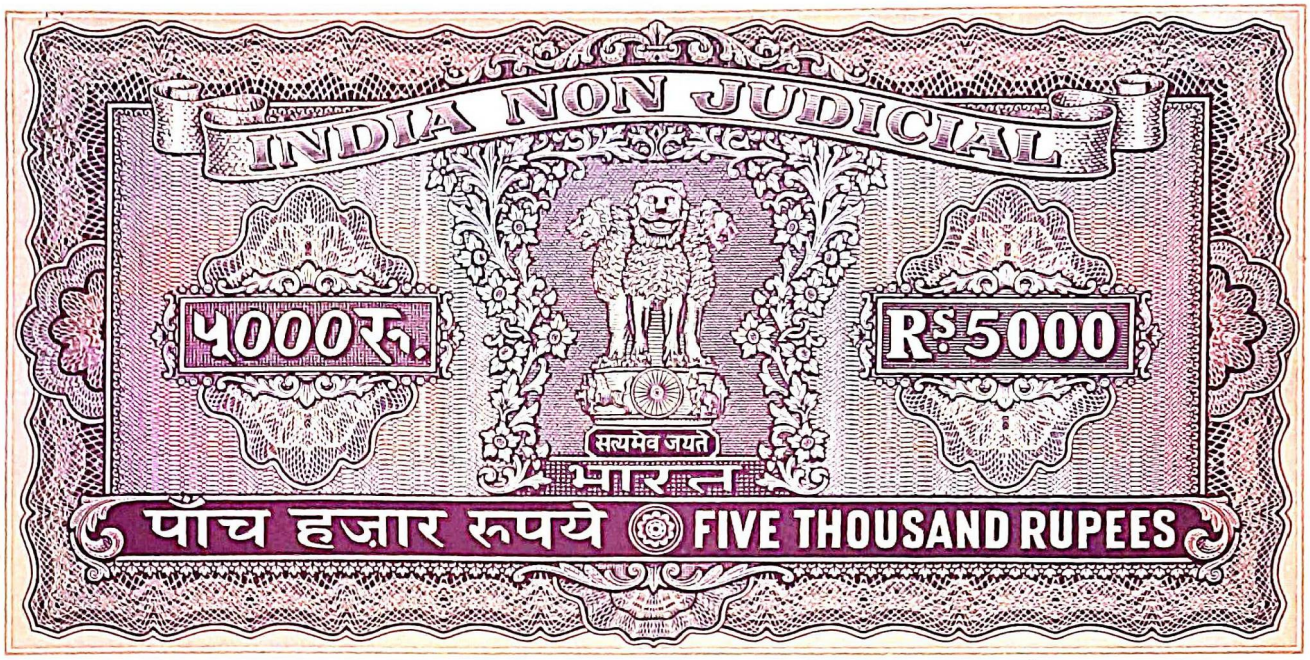

22.12.06

(2)

बिक्रय पत्र केवाला दस्ताबेज ।

मूल्य–1,10,000/–एक लाख दस हजार रुपया। परन्तु सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के हिसाब से 4,12,000/–चार लाख बारह हजार रुपया। जिसके लिये ग्रहिता मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क अदा दे रहे हैं। सलाना माल गुजारी 25 पैसे। मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार । अंचल कार्यालय गोविन्दपुर।

बिवरण जायदाद –जिला चौकि सदर रजिस्ट्री औफिस धनबाद थाना गोविन्दपुर अन्तर्गत आमाघाटा मौजे में कायमी रैयति स्वत्त की खास दखली खरीदा हुआ जमीन मौजा नं0 170, खाता न0 74 चौहत्तर, सामिल 1. प्लौट न0 360 तीन सौ साठ, बाईद, रकवा 44 डी0 में से 14–1/2 डी0 2. प्लौट न0 362 तीन सौ बासठ, बाईद, रकवा 02 डी0 3. प्लौट न0 363 तीन सौ तिरसठ, बाईद, रकवा 03 डी0 में से 1–1/4 डी0 4. प्लौट न0 365 तीन सौ पैंसठ, रकवा में से 30 डी0 कुल चार प्लौट का कुल रकवा में से 47–3/4 डी0 (सैंतालिस पूर्णांक तीन वटा चार डी0)।

1000Rs.

22-12-06

जिसका चौहद्दी –उत्तर :– ग्रामीण रास्ता एवं प्लौट न0 358 तथा 364।

दक्षिण :– प्लौट न0 359।

पुरब :– प्लौट न0 358 एवं 360।

पश्चिम :– प्लौट न0 365।

5. प्लौट न0 341 तीन सौ एकतालिस, बाईद, रकवा 11 डी0 6. प्लौट न0 342 तीन सौ बयाल्लिस रकवा 36 डी0 में से 26 डी0 कुल दो प्लौट का कुल रकवा 37 डी0 (सैंतिस डी0)।

जिसका चौहद्दी –उत्तर :– प्लौट न0 340।

दक्षिण :– प्लौट न0 335, 336 एवं 337।

पुरब :– प्लौट न0 358।

पश्चिम :– प्लौट न0 342 एवं 337।

500Rs.

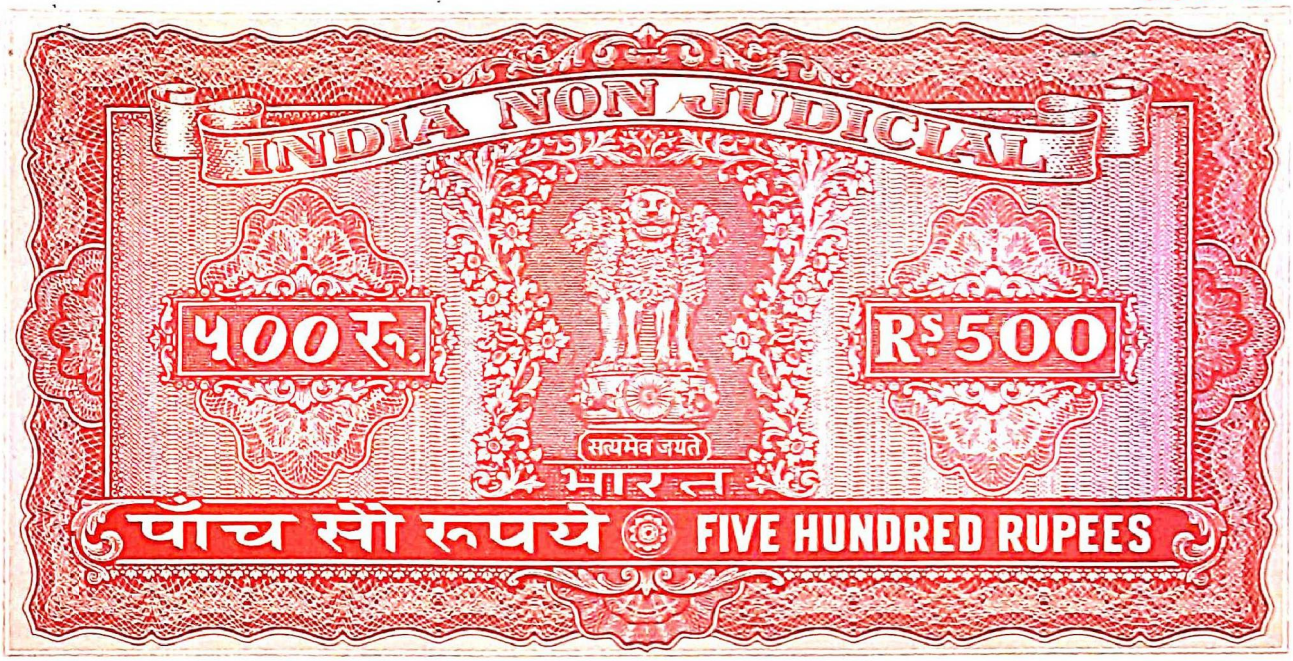

22-12-06

7. प्लौट न0 392 तीन सौ बिरानवै, बाईद, रकवा 11 डी0 8. प्लौट न0 393 तीन सौ तिरानवै, बाईद, रकवा 14 डी0 कुल दो प्लौट का कुल रकवा 25 डी0 (पच्चिस डी0)।

जिसका चौहद्दी –**उत्तर** :– प्लौट न0 379 एवं 377।

दक्षिण :– प्लौट न0 391 एवं 390।

पुरब :– प्लौट न0 379 एवं 380।

पश्चिम :– प्लौट न0 390 एवं 394 ।

कुल आठ प्लौट में कुल रकवा 1 एकड़ 9–3/4 डी0 (एक एकड़ नौ पूर्णांक तीन बटा चार डी0) जमीन इस दस्तावेज, द्वारा आपके हाथ बिक्री किया। जो शहरी भु–हदबन्दी सीमारेखा से बाहर है।

(5)

उक्त जमीन धनबाद रजिस्ट्री औफिस का रजिस्ट्री किया हुआ अंग्रेजी 1970 साल के 3329 न0 केवाला दस्ताबेज द्वारा अन्नपुर्णा देवी एवं तपेश्वरी देवी के पास से केवाला दाता के नीज नाम से केवाला खरीदा हुआ जमीन के अन्तर्गत है। जिसका अंचल अधिकारी गोविन्दपुर के दाखिल खारीज मुकद्दमा संख्या 13 (ग) 1972/1973 के आदेशानुसार जमाबंदी संख्या 194 पर केवाला दाता के नीज नाम से लगान वसुल होता है।

चूंकि विक्रय पत्र केवाला दस्ताबेज के बिवरण यह है की मेरे आवश्यकीय खर्च हेतू रुपये का कठिन आवश्यकता आने पर रुपये संग्रह करने के वास्ते बिवरण में दिये गये जमीन बिक्री करने के लिए आपसे प्रस्ताव किये, आप उसे उचित मूल्य में खरीद करने के लिए राजी होने पर दोनों पक्षों के सहमति से उक्त जमीन का समयोचित सर्व्वोच्च मूल्य –110000/– एक लाख दस हजार रुपया तय हुआ और उक्त मूल्य में ही उक्त जमीन आपके हाथ बिक्री करके सदा के लिए सम्पुर्ण रुप से निःस्वत्व हुए।

22-12-06

आज तारीख से ही आप उक्त जमीन में मेरा स्थान पर दखलकार बनकर खास जोत या प्रजाबिली द्वारा या आप उक्त जमीन में अपने इच्छानुसार कच्चा – पक्का मकान, कुँआ, बाग – बगिचादी निर्माण करके नीज वसवास या भाड़ाबिली आदि ,द्वारा दान बिक्रय आदि सर्वप्रकार हस्तान्तरण करने की पूर्ण हकदार होकर पुत्र – पौत्रादी, वारिस एवं वंशज के साथ निर्बिघ्न रुप से भोग दखल करते रहिये, उससे मैं तथा मेरा वारिस एवं वंशज कोई कभी किसी प्रकार वोजर एतराज नहीं कर पायेंगे। करने पर भी वह हर वक्त के लिए बातिल और नामंजुर होगी। बिक्रित जमीन का सलाना मालगुजारी मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार को हरसाल अदाय देकर मेरा नाम खारिज करवाकर आप अपने नाम से चेक दाखिला रसीद हासिल किजियेगा, दाखिल करने के वास्ते जो कुछ भी जरुरत होगी बगैर एतराज पर कर देंगे ।

बिक्रित जमीन सम्पुर्ण निर्दाय एवं निर्दोश अवस्था में मेरा दखल कब्जे में है, फिर भी भविष्य में कभी किसि प्रकार का दाय – संयोग या हस्तान्तर आदि किया हुआ सबुत या प्रकाश पाया जाये तो मैं तथा मेरा वारिस एवं वंशज क्षति पुर्ति किया करेंगे एवं कानुनी वाध्य होंगे।

अतः मैं स्वस्थ्यता पूर्वक सही दिमाग से मूल्य का समुचा रुपये नकद ग्रहण करके यह बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज लिख दिया कि समय पर काम आवे। ईति 2006 साल,

तारीख 22-12-06।

दस्तावेज का मजमुन तैयार करके दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया।

कातिबः श्री रवीन्द्र नाथ सरकार मो० धनबाद

22-12-06

(5)

प्रमाणित किया जाता है कि मुल दस्तावेज एवं द्वितियक प्रति एक दुसरे की हु–ब–हु एवं सच्ची प्रतिलिपि है।

22-12-06

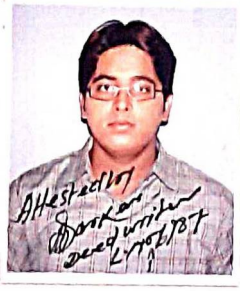

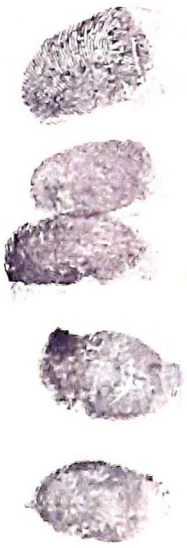

Inderpal Singh
22/12/06

प्रमाणित किया जाता है कि दाता एवं ग्रहिता जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगाया गया है, उनके बाँये हाथ के अंगुलियो के निशान मेरे द्वारा मेरे सामने लिया गया।

कातिबः– श्री रवीन्द्र नाथ सक्सेना
मो0:– धनबाद
ला0 नं0:– 6/87
दिनांक – 22/12/06

गवाहगण

1. Kalim Ansari, Kolakusma, 22/12/06
2. Paritosh Dey, 22/12/06, Dhanbad

उप जिला पंजीयक ★ रायपुर ★

22.12.06

236

183 to 189

11185 2006

22.12.06

22.12.06